न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मनोज कुमार मीणा, आर. ए. एस.

वाद सं.– 64/2011

सावित्रीदेवी पत्नी फूसाराम जाति मेघवाल निवासी ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

– वादीया

बनाम

1. भूरीदेवी पत्नी देवसीराम जाति मेघवाल निवासी ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. रामकुमार पुत्र व पुत्री फूसाराम जाति मेघवाल निवासी ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. रूकमा पुत्री फूसाराम(मृतक):–
   3/1. दौलतराम पति रूकमा पुत्र दौलतराम जाति मेघवाल निवासी शेखचुलीयां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व) सूरतगढ़ बैसियत प्रतिनिधी भू–धारक।

– प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 21/01/2020

वाद पत्र अर्तगत धारा 88, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री भगवानदत्त शर्मा, अधिवक्ता वादीया
2. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,
3. श्री रामस्वरूप बारूपाल, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2, 3/1
4. राज पैरोकार सूरतगढ़

पत्रावली प्रस्तुत हुई। संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि रोही ठुकराना तहसील सूरतगढ़ के जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 2068 के खाता संख्या नया 107 पुराना 582 में खसरा नम्बर 258/1 में 11.4730 हैक्टेयर, 258/2 में 1.7460 हैक्टेयर बारानी, खसरा नम्बर 258/3 में 2.4160 हैक्टेयर बारानी कुल 15.6350 हैक्टेयर भूमि बारानी दर्ज है जिसमें पन्नीदेवी का 1/3 हिस्सा उक्त भूमि में अंकित हैं। शेष हिस्से की प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 खातेदार अंकित हैं। श्रीमती पन्नीदेवी पत्नी नत्थूराम ने अपनी भूमि वाके ठुकराना के खाता संख्या 107/582 में अंकित 1/3 हिस्सा की वसीयत दिनांक 29.09.2009 को वादीनी के हक में करवा

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

दी एवं उक्त भूमि मरणोपरान्त वादीनी को दिये जाने का इच्छा पत्र बदुरूस्ती होश–हवाश वादीनी को दिये जाने की इच्छा प्रकट की एवं इच्छा पत्र लिखाया जाकर तस्दीक करवाया हैं। अंकित काश्तकार पन्नीदेवी के नाम उक्त भूमि पूर्ण अधिकारी के रूप में थी एवं उसी अनुसार उसने इच्छा पत्र तस्दीक करवाया। पन्नी देवी की मृत्यु हो चुकी हैं व मृत्यु दिनांक 25.08.2010 के पश्चात् पन्नीदेवी के 1/3 हिस्से पर मुझ वादीनी का इच्छा पत्र के अनुसार पूर्ण अधिकार हैं। मृत्यु पश्चात् इच्छा पत्र प्रभावी हो चुका हैं। वादीनी जैरवाद भूमि में अंकित पन्नीदेवी के नाम 1/3 हिस्सा की वसीयत के आधार पर घोषणा स्वंय को खातेदार उक्त 1/3 हिस्से की पाने की अधिकारीणी हैं व उक्त भूमि पर वादीनी का पूर्ण कब्जा हैं। वादीनी के हकूक पर प्रतिवादी न. 1 सहमत नहीं है व मुझ वादीनी के हकूक को मानने से कतई इन्कार करती हैं एवं स्वंय के नाम नामान्तरण दर्ज करवाने की पूर्ण चेष्टा कर रही हैं व इस हेतु कार्यवाही नामान्तरकरण तहसीलदार सूरतगढ़ में जैरकार हैं। प्रतिवादीगण द्वारा मुझ वादीनी के हकूक से इन्कार करने के आधार पर वादीनी बिन्दुओं की विस्तृत जांच जो कि वाद के आधार पर हो सकती हैं, घोषणा करवानी चाहती है। यही वाद आधार हैं। प्रतिवादीगण वादीनी के हकूक से इन्कार करते हैं एवं स्वंय के नाम नामान्तरण दर्ज करवाना चाहते हैं जो वसीयत मुझ वादीनी के हक में होने से प्रतिवादी न. 1 उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 भूरीदेवी पन्नीदेवी की पुत्री हैं व हितबद्ध पक्षकार हैं, इसलिए पक्षकार वाद पत्र बनाया गया हैं। अतः वाद पत्र वादीया का डिक्री किया जावे तथा वसीयत के आधार पर रोही ठुकराना की जैरवाद भूमि में पन्नीदेवी के अंकित 1/3 हिस्से की भूमि पन्नीदेवी की मृत्यु होने से वादीनी को 1/3 हिस्से का उक्त खाते में पन्नीदेवी के स्थान पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

वाद पत्र वादीया द्वारा प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये अभिभाषक हाजिर आये तथा अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीया संख्या 1 ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पन्नीदेवी द्वारा कोई वसीयत वादीया के पक्ष में नहीं करवाई हुई है तथा वादीया का जैरवाद भूमि पर कब्जा भी नहीं है। जैरवाद भूमि में मुझ प्रतिवादीया को अपनी माता पन्नीदेवी के स्वर्गवास हो जाने पर विरासतन हक प्राप्त हो गया है व उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीया अपना नाम पन्नीदेवी के स्थान पर दर्ज करवाने की हकदार है, इसलिए भी वाद वादीया काबिल निरस्ती के है। वादीया ने तथाकथित फर्जी व कूटरचित बिना पन्नी देवी को बताये व बिना उसकी इच्छा के तैयार की गई हैं। वादीया ने तथाकथित वसीयत में अपने आप को पन्नीदेवी की पुत्री बताया गया हैं जो गलत है। वादीया स्व. पन्नीदेवी की पुत्री नहीं हैं। पन्नीदेवी की दो पुत्रीयां थी एक प्रतिवादीया न. 1 व एक गुड्डी देवी थी जिसका स्वर्गवास हो चुका हैं। वादीया गांव ठेठार की किशनाराम मेघवाल की पुत्री हैं जबकि पन्नीदेवी नत्थूराम को बयाही हुई थी जो मुझ प्रतिवादीया की माता थी व पिता नत्थूराम था। जैरवाद भूमि पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि होने से उसको तथाकथित वसीयत करवाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था इसलिए भी वाद वादीया खारिज किया जावे। तथाकथित वसीयत की दिनांक को पन्नीदेवी की उम्र

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

लगभग 95 वर्ष की थी, उस समय उनको न सुनाई देता था व न दिखाई देता था व न सोचने व समझने की शक्ति थी व किसी प्रकार से वसीयत करने की हालत में कतई नहीं होने से तथाकथित वसीयत के आधार पर वादीया कोई अनुतोष पाने की अधिकारीणी नहीं हैं, वसीयत पूरी तरह से संदेह से भरी हुई है। अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.12.2010 के द्वारा तथाकथित वसीयत को सही नहीं माना हैं व वह निर्णय आज भी कायम हैं उसके विरूद्ध वादीया द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की हैं, इसलिए अब उस वसीयत के आधार पर कोई घोषणा प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए वादीया का वाद पत्र खारिज किया जावे।

वादीया एंव प्रतिवादीगण के दावे व जबाबदावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया कि रोही ठुकराना खसरा नम्बर 258/1, 258/2, 258/3 की कुल 15.635 हैक्टेयर भूमि में पन्नीदेवी के नाम अंकित 1/3 हिस्सा भूमि की वादीया वसीयत दिनांक 29.09.2009 के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा कराने की हकदार हैं? **(वादिनी)**
2. आया कि आया वादीया का वसीयत में अंकित भूमि पर पूर्ण कब्जा हैं? **(वादिनी)**
3. आया कि वसीयत दिनांक 29.09.2009 पन्नीदेवी की स्वेच्छा से नहीं करवाई होने से कूटरचित दस्तावेज हैं ? **(प्रति–1)**
4. आया पन्नीदेवी के नाम अंकित 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादीया –1 का पन्नीदेवी के जीवनकाल से कब्जा काश्त हैं?**(प्रति–1)**
5. आया प्रतिवादी– 1 पन्नीदेवी के नाम अंकित भूमि को विरासतन प्राप्त करने की हकदार हैं ? **(प्रति–1)**
6. अनुतोष ?

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। दोनो पक्षो की बहस सुनने के बाद तनकीवाईज विवेचन इस प्रकार हैं :–

तनकी न. 1 को साबित करने का भार वादीया पर था। वादीया ने तनकी को साबित करने के लिए अपना तथा गवाहो के शपथ पत्र व वसीयत दिनांक 29.09.2009 को प्रस्तुत किया। वसीयत का अवलोकन किया गया। वसीयत में वादीया ने अपने आप को पन्नी की पुत्री बताते हुए वसीयत निष्पादित करवाई है। वादीया ने अपनी जिरह में बताया कि पन्नीदेवी मेरी माता है तथा साथ में यह भी बताया कि पन्नी देवी ने मुझे जन्म नहीं दिया। मेरा पीहर ठेठार है तथा मेरे पिता का नाम किशनाराम है। पन्नीदेवी के पुत्री भूरीदेवी एक ही है। वादीया ने वसीयत के समय पन्नीदेवी की उम्र 90–95 वर्ष बताई है। वसीयत में वादीया को बार बार पुत्री से सम्बोधन किया है जबकि यह बात पूर्ण रूप से वादीया के स्वंय के बयानो से व गवाहों के बयानो से साबित हो चुकी हैं। इसलिए वसीयत में वर्णित यह तथ्य कि पन्नीदेवी की वादीया सेवा चाकरी किस हैसियत से कर रही थी। इसलिए वादीया एवं गवाहों के बयानो से तथा वसीयत में वर्णित तथ्यों से वसीयतनामा संदेहास्पद लगती है तथा वसीयत पूर्ण रूप से साबित करने में वादीया असफल रही है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

वादीया के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर RBJ 2011 पेज 246 इस प्रकरण में चस्पा नहीं होती है। इसलिए यह तनकी वादीया के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी न. 2 को साबित करने का भार वादीया पर था। वादीया का यह कहना कि वसीयत शुदा भूमि पर कब्जा काश्त वादीया का हैं। जबकि वादीया ने कब्जा काश्त से सम्बन्धित कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। मात्र कह देने से कब्जा काश्त नहीं माना जा सकता है। इसलिए यह तनकी वादीया के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी न. 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी 1 पर था। इस तनकी के विवेचन से पूर्व तनकी न. 1 का विवेचन देखा जावे तो यह तनकी अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। चूंकि वादीया स्वंय के अनुसार वसीयत के समय पन्नीदेवी की उम्र 90–95 वर्ष अवस्था बताई गई जिसको न तो ठीक से सुनाई देता था व न ही दिखाई देता था। वसीयत लिखने वाला मुख्य गवाह होता है लेकिन वसीयत में उसका अता पता ही नहीं है। इस प्रकार वसीयत स्वेच्छा से करवाई हुई प्रतीत नहीं होने से यह तनकी बहक प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी न. 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी–1 पर था। चूंकि पन्नीदेवी की एक मात्र प्रथम श्रेणी की वारिस भूरीदेवी है जो कि वादीया स्वंय स्वीकार कर रही है। इस प्रकार पुत्री होने की हैसियत से प्रतिवादी न. 1 पन्नीदेवी के जीवनकाल में जैरवाद भूमि पर काबिज काश्त थी। इसलिए यह तनकी बहक प्रतिवादी न. 1 तय की जाती है।

तनकी न. 5 उक्त वर्णित तनकियों के विवेचन से साबित है कि पन्नीदेवी की भूमि में विरासतन प्रतिवादी न. 1 प्राप्त करने की हकदार हैं चूंकि वादीया स्वंय मान रही हैं कि प्रतिवादी न. 1 ही एक मात्र वारिस पन्नी देवी की है। इसलिए यह तनकी भी खिलाफ वादीया बहक प्रतिवादी न. 1 तय की जाती हैं।

इस प्रकार उक्त तनकीयों के विवेचन अनुसार यह वाद पत्र वादीया द्वारा साबित नहीं कर पाने के कारण तथा वसीयत दिनांक 29.09.2009 सन्देहास्पद होने के कारण वाद पत्र खारिज किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वाद पत्र वादीया निरस्त किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 21/04/2020 को सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)

–: अनवान :–

सावित्रीदेवी पत्नी फूसाराम जाति मेघवाल निवासी ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

– वादीया

बनाम

1. भूरीदेवी पत्नी देवसीराम जाति मेघवाल निवासी ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. रामकुमार पुत्र व पुत्री फूसाराम जाति मेघवाल निवासी ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. रूकमा पुत्री फूसाराम(मृतक):–
   3/1. दौलतराम पति रूकमा पुत्र दौलतराम जाति मेघवाल निवासी शेखचुलीयां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व) सूरतगढ़ बैसियत प्रतिनिधी भू–धारक।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 64 वर्ष 2011 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीया श्री भगवानदत्त शर्मा व वकील प्रतिवादी न. 1 श्री भागीरथ बिश्नोई व वकील प्रतिवादी न. 2 व 3/1 श्री रामस्वरूप बारूपाल व राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादीया निरस्त किया जाता हैं।

नोज..... × ..... मुबलिग.....× ..... बाबत.....×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ..... × ..... फस्दो की पालना ..... ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 21/1/2020. . को जारी की गई।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.13 16:22:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: